संख्याः 93 /XXII/2005–44 (सू.) 2003

प्रेषक,

संतोष बडोनी,
अनुसचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
सूचना एवं लोक संपर्क विभाग,
उत्तरांचल, देहरादून।

सूचना विभाग

देहरादून, दिनांक 25 मार्च 2006

विषय : आयोजनेत्तर पक्ष की मदों में पुनर्विनियोग स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या– 333/XXII/2005–44 (सू0)2003, दिनांक 24 दिसम्बर,2005 के क्रम में एवं आपके पत्र संख्याः 514/सू.एवंलो.सं.वि.(लेखा)/पुनर्विनियोग/2005–06 दिनांकः 22 मार्च 2006 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 में अनुदान संख्या–14 के लेखाशीर्षक–2220–सूचना तथा प्रचार के आयोजनेत्तर पक्ष में संलग्नक–बी.एम. 15 के विवरणानुसार रू. 1852 हजार (रू. अठारह लाख बावन हजार मात्र) की धनराशि को अनुदानान्तर्गत बचतों के पुनर्विनियोग के माध्यम से व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय करने का अधिकार नहीं देता है जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय संबंधित अधिकारी की स्वीकृति से ही किया जाय।

3. धनराशि उसी मद में व्यय किया जाये जिसके लिये स्वीकृत की जा रही हो। व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय।

4. किसी भी मद में व्यय से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका, बजट मैनुअल भण्डार क्रय नियम (स्टोर, परचेज रूल्स), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक संबंधी नियम (बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेशों तथा समय–समय पर जारी विभागीय निर्देशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

6. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–14 के लेखाशीर्षक– **2220–सूचना तथा प्रचार–आयोजनेत्तर** के अंतर्गत संलग्नक–प्रपत्र बी.एम. 15 में इंगित लेखाशीर्षकों की सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

7. उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशा. सं.–161/वित्त–5/2005–06 दिनांकः 24 मार्च 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव

संख्याः 93 /XXII / 2005–44 (सू.) 2003, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, देहरादून।
2. वित्त अनुभाग–5, उत्तरांचल शासन।
3. मण्डलायुक्त, कुमायूं/गढ़वाल मण्डल, उत्तरांचल।
4. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
5. बजट राजकोषीय अधिकारी, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
6. एन.आई.सी. देहरादन सचिवालय।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव

प्रपत्र बी0एम0 15

पुनर्विनियोग वित्तीय वर्ष 2005–06

नियंत्रक अधिकारी– महानिदेशक सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग, उत्तरांचल   प्रशासनिक विभाग– सूचना अनुभाग, उत्तरांचल शासन   अनुदान संख्या– 14 लेखा– आयोजनेत्तर

(धनराशि हजार रूपये में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का मदवार विवरण	मानक मदवार अद्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष (सरप्लस) धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ–5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद अवशेष धनराशि स्तम्भ–1	विवरण
1	2	3	4	5	6	7	8
2220 सूचना तथा प्रचार – आयोजनेत्तर –60–अन्य –101–विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार –05–अधिष्ठान –00 मानक मद–19–विज्ञापन बिक्री एवं विख्यापन व्यय बजट – 68550	60000	6698	1852	2220 सूचना तथा प्रचार–आयोजनेत्तर –60–अन्य –001–निदेशन तथा प्रशासन–03–अधिष्ठान–00 मानक मद– 08–कार्यालय व्यय पुनर्विनियोग– 400	1600	68150	निदेशन एवं प्रशासन अधिष्ठान हेतु कार्यालय व्यय, लेखन सामग्री मद में आवंटित धनराशि पूर्णतः व्यय हो चुकी है। निरीक्षण कार्यों हेतु क्रय किये जाने वाले समाचार पत्रों/पत्रिकाओं डाक एवं कूरियर व्यय सहित विविध प्रासंगिक व्ययों के लंबित भुगतान हेतु कार्यालय व्यय मद में रू. 400 हजार की अतिरिक्त आवश्यकता है। इसी प्रकार लेखन सामग्री से संबंधित लंबित भुगतान हेतु रू. 50 हजार की अतिरिक्त आवश्यकता है। भवन किराया मद में आवंटित धनराशि कम पड़ने के कारण इस मद में रू. 36 हजार की अतिरिक्त आवश्यकता है। आतिथ्य व्यय मद में भी निदेशालय को आवंटित धनराशि समाप्तप्राय होने से राज्य सरकार के चार वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित मा. मुख्यमंत्री जी की प्रेस वार्ता तथा विशिष्ट जनों एवं प्रेस प्रतिनिधियों के आतिथ्य सत्कार, पत्रकारों के सम्मेलन से संबंधित भुगतान तथा मान्यताप्राप्त पत्रकारों को अनुमन्य यात्रा सुविधा हेतु राज्य परिवहन निगम को धनराशि का भुगतान किये जाने हेतु रू. 800 हजार की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है। इसी प्रकार कम्प्यूटर स्टेशनरी मद में भी रू. 50 हजार की अतिरिक्त आवश्यकता होगी।
				11–लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई पुनर्विनियोग– 50	170	68100	
				17–किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व पुनर्विनियोग– 36	786	68064	
				22–आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि पुनर्विनियोग– 800	4300	67264	
				47–कम्प्यूटर अनुरक्षण एवं तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय पुनर्विनियोग– 50	100	67214	
				–109–फोटो सेवायें–03–अधिष्ठान–00 01–वेतन पुनर्विनियोग– 07	267	67207	फोटो सेवायें अधिष्ठान के वेतन, अन्य भत्ता मद में स्वीकृत धनराशि सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए पर्याप्त नहीं होने के कारण कर्मचारियों के लंबित वेतन के भुगतान तथा [illegible] के समायोजन हेतु वेतन मद में रू. 7 हजार तथा अन्य भत्ता मद में रू. 9 हजार की अतिरिक्त आवश्यकता है। इसी प्रकार मा. मुख्यमंत्री जी, मा. मंत्रीगणों के कार्यक्रमों तथा अन्य महत्वपूर्ण आयोजनों/गतिविधियों की फोटो कवरेज से संबंधित लंबित बिलों का भुगतान हेतु सामग्री सम्पूर्ति मद में रू. 325 हजार की अतिरिक्त आवश्यकता है।
				06–अन्य भत्ता पुनर्विनियोग– 09	38	67198	
				31–सामग्री और सम्पूर्ति पुनर्विनियोग– 325	725	66873	
				–800–अन्य व्यय– 03–स्वतंत्रता तथा गणतंत्र दिवस सम्बन्धी (उत्तरांचल सचिवालय को छोड़कर) उत्सवों आदि पर व्यय–00 मानक मद– 42–अन्य व्यय पुनर्विनियोग– 175	1975	66698	गणतंत्र दिवस समारोह– 2006 के अवसर पर नई दिल्ली में राज्य की झांकी के आयोजन से संबंधित अवशेष भुगतान हेतु अन्य व्यय मद में रू. 175 हजार की अतिरिक्त आवश्यकता है।
योग– 68550	60000	6698	1852	1852	10041	66698	

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के परिच्छेद 150,151,155,156 में उल्लिखित प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होता है।

(संतोष बडोनी)
अनु सचिव